फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

अनिल बनाम कैलाश वगै0

नं0 :– 140/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
09.04.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील उभय पक्षों की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की भूमि ग्राम राजपुरवासताल, पटवार हल्का राजपुरवास ताला, तहसील जमवारामगढ मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 252 रकबा11.1908है0 खातेदारी स्थित है। जिसमे आने जाने हेतु खसरा नम्बर 242, 242/1, 242/2, 242/3 मे से आने जाने का 25 फिट चौडा व 150 मीटर लम्बा कच्चा रास्ता है। जो अप्रार्थीगण की भूमि है। जिसमें से प्रार्थीगण कई वर्षो से आते जाते है। खसरा नम्बर 252 के चारों ओर कोई भी अन्य आने जाने का राजस्व नक्शें में रास्ता दर्ज नही है और मौके पर कोई अन्य रास्ता नही है। अतः संलग्न नक्शें में दर्शित पीले रंग अनुसार राजस्व रिकार्ड में गै0मु0रास्ता दर्ज करने के आदेश प्रदान करें। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी अप्रार्थीगणों से रंजिश रखता है और अप्रार्थीगण गरीब तबके के आदमी है। इसलिए नाजायज परेशान करता है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगणों की भूमि में से आने जाने का जो रास्ता बताया है वह गलत है। अप्रार्थीगणों की भूमि में से कोई रास्ता नही जाता है। जिसके संबंध में मौके की फोटोग्राफ पेश है। अप्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर लगभग 7–8 फिट ऊचाई की कच्ची डोल लगी हुई है। जो 50 साल से अधिक समय से लगी हुई है। वहा से कतई रास्ता नही है। प्रार्थी अपनी भूमि में पीछे स्थित भूमि खसरा नम्बर 253 गैर मुमकिन मे से होकर ही आता जाता है तथा खसरा नम्बर 243, 246 में से होकर भी बनी पगडण्डी से भी आता जाता है। प्रार्थी से झगडा हो जाने के कारण परेशान करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। साथ ही निवेदन किया कि तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट के बिन्दू 2 के अनुसार खसरा नम्बर 252 से खसरा नम्बर 243 व 246 मे होकर प्रस्तावित बताया है जिसकी खसरा नम्बर 252 से गै0मु0रास्ता खसरा नम्बर 231 तक कुल लम्बाई जो 209 मीटर है। तथा बिन्दू सं0 3 अनुसार खसरा नम्बर 252 से खसरा नम्बर 240 व 239 मे होकर प्रस्तावित बताया है जिसकी खसरा नम्बर 252 से गै0मु0रास्ता 235 तक कुल लम्बाई 158 मीटर है। अप्रार्थी के खेतों मे होकर कोई रास्ता नही है और बीच मे डोल लगी हुई है तथा मकानात बने हुये है एवं दुरी भी लगभग 215 मीटर है। अप्रार्थीगण की भूमि मे से रास्ता नही दिया जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। अतः वकील उभय पक्षो की बहस सुनने एवं मनन करने तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट, जवाब अप्रार्थीगण एवं प्रस्तुत फोटोग्राफ तथा पत्रावली मे शामिल अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर अप्रार्थीगणों की भूमि में अप्रार्थीगणो का निर्माण होना तथा लगभग 7–8 फिट कच्ची डोल होना पाया गया तथा मुताबिक रिपोर्ट व प्रस्तुत फोटोग्राम से भी यह अवगत नही हुआ कि प्रार्थी अप्रार्थीगणो की भूमि में से आता जाता है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नक्शें अनुसार प्रार्थी की भूमि के लगते हुए उत्तर दिशा की ओर सरकारी भूमि में से ही प्रार्थीगण का आना जाना रहा है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते को छोड एक नया छोटा रास्ता चाहते है एवं इस हेतु प्रा0 पत्र पेश किया गया है। यह विचारणीय है कि जहॉ काश्तकार का स्वयं की भूमि तक पहुच हेतु पूर्व से ही	

उपखण्ड अधिकारी

आवागमन हेतु राजकीय भूमि में से रास्ता उपलब्ध हों। ऐसी स्थिति में नया रास्ता दिया जाना उचित नही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज सरे इजंलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफतर हों।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर